भूमि रिकॉर्ड में अनियमितता के कारण UP रेरा द्वारा 400 परियोजनाओं पर रोक

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने अपने पोर्टल पर लगभग 400 परियोजनाओं को रोक दिया है, क्योंकि डेवलपर्स आवश्यक भूमि रिकॉर्ड, नक्शे या दोनों अपलोड करने में विफल रहे।

- **इनमें से कई परियोजनाएँ** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) **में स्थित हैं।**

प्रमुख बिंदु:

- **कार्रवाई का कारण:** वर्ष 2018 से लगातार नोटिस देने के बावजूद कई प्रमोटरों (प्रवर्तकों) ने इन दस्तावेज़ों को अपलोड नहीं किया।
- **उद्देश्य**: इस निर्णय का उद्देश्य आवंटियों को निवेश करने से पूर्व इन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी सुनिश्चित करके **संभावित धोखाधड़ी** से बचाना है।
- **वर्तमान अनुपालन**: **400 परियोजनाओं में से केवल 57** ने आवश्यक स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ प्रदान किये हैं।
- **भविष्य के कदम**: प्रमोटरों को आवश्यक दस्तावेज़ शीघ्र अपलोड करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उन्हें सख्त दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घर खरीदारों की सुरक्षा के साथ-साथ भू-संपदा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना है।

- यह अधिनियम 1 मई 2016 से लागू हुआ।
- **उद्देश्य:**
  - **भू-संपदा क्षेत्र** के विनियमन एवं संवर्द्धन के लिये **भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण** की स्थापना करना।
  - परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
  - भू-संपदा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करना और विवादों के त्वरित समाधान हेतु न्याय निर्णय व्यवस्था स्थापित करना।
  - बिल्डर के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना।
  - भू-संपदा क्षेत्र को कैसे विकसित और बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार को परामर्श देना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/up-rera-halts-400-projects-over-missing-land-records